



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(U.P. Govt. Undertaking)
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या 262-उनिलि/रिफार्म/विनियम(मिनि०संवर्ग-1970):183.15/2019

दिनांक: 19 अक्टूबर 2019

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.09.2019 को सम्पन्न 183वीं बैठक में एजेण्डा संख्या-183.15 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० की विभिन्न इकाईयों (मुख्य अभियंता के कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय) में कार्यरत लिपिकीय संवर्ग के कर्मिकों के पदों यथा कार्यालय सहायक-द्वितीय एवं कार्यालय सहायक-तृतीय को संविलीन किया जाता है एवं निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित वर्तमान पदनाम के स्थान पर स्तम्भ-3 में उल्लिखित पदनाम से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

क्र०सं० (1)	वर्तमान पदनाम (2)	परिवर्तित पदनाम (3)
1	कार्यालय सहायक श्रेणी-तृतीय	कार्यकारी सहायक
2	कार्यालय सहायक श्रेणी-द्वितीय	
3	कार्यालय सहायक श्रेणी-प्रथम	वरिष्ठ कार्यकारी सहायक
4	कार्यालय अधीक्षक श्रेणी-द्वितीय	सहायक कार्यकारी अधिकारी
5	कार्यालय अधीक्षक श्रेणी-प्रथम	कार्यकारी अधिकारी
6	कार्यालय अधीक्षक विशेष श्रेणी	प्रशासनिक अधिकारी
7	आशुलिपिक	शिविर सहायक

2- उपरोक्त पदनाम परिवर्तन के उपरांत कार्यालय सहायक श्रेणी-तृतीय से कार्यालय सहायक श्रेणी-द्वितीय तथा कार्यालय सहायक श्रेणी-द्वितीय से कार्यालय सहायक श्रेणी-प्रथम पर पदोन्नति हेतु पूर्व में निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी सेवाओं को जोड़कर कार्यकारी सहायक से वरिष्ठ कार्यकारी सहायक पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा आगणित की जायेगी।

3- पदनाम परिवर्तन के आधार पर परिवर्तित पदनाम के अनुसार वेतनमान में किसी प्रकार की वृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी।

4- पदनाम परिवर्तन के फलस्वरूप अन्य संवर्ग अथवा शासन से किसी प्रकार की समतुल्यता प्रदान नहीं की जायेगी।

5- उपरोक्त के फलस्वरूप परिवर्तित व्यवस्था का संगत सेवा विनियमावली में तदनुसार संशोधन किया जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या 262-उनिलि/रिफार्म/विनियम(मिनि०संवर्ग-1970):183.15/2019 तददिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

क्रमशः.....2/-

2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना प्रमुख, अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ़।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशाषी निदेशक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. कंपनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 26.09.2019 को सम्पन्न 183वीं बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा आइटम संख्या-183.15 के संदर्भ में।
9. अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-01/03/04/05)/उप महाप्रबन्धक (मा०सं०-02)/अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण इकाई)/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी० सी०-46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. कट फाइल।

(Signature)
19/10/19

(तरुण कुमार जैन)
अधिशाषी अभियन्ता (रिफॉर्म)